

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 5326 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : गंगदेई
4. भूमि का क्षेत्रफल: 3.409 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
386/15	0.070	432/12	0.080
393/1	0.040	421/1	0.064
382/1	0.400	406/3	0.048
405/3	0.100	433	0.040
406/1	0.016	434/1	0.048
406/2	0.045	434/2	0.072
406/7	0.044	436/4	0.127
406/8	0.060	436/2	0.080
420	0.110	437/2	0.210
425/1	0.120	394/1	0.200
372/2	0.010	438/2	0.058
425/4	0.120	429/3	0.008
382/4	0.080	438/3	0.032
425/2	0.130	439/1	0.072
429/1	0.065	350/1	0.092
429/2	0.030	440	0.048
426/2	0.078	404	0.070
425/3	0.048	394/2	0.070
429/5	0.080	432/18	0.031
432/6	0.081	432/17	0.024
432/15	0.074	432/20	0.071
432/9	0.042	432/5	0.021
योग :-	कुल खसरा नं. - 44, कुल रकबा - 3.409 हे.		


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

2. भूमि का नक्का (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. प्र.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजीत वसीत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग